

ऐसे अर्ह व्यक्ति जिनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है तथा 01 जनवरी 2017 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित कराने हेतु प्रारूप-6, मतदाता सूची से नाम कटवाने हेतु प्रारूप-7, प्रविष्टि को शुद्ध कराने हेतु प्रारूप-8 तथा प्रविष्टि को अन्यत्र रखने हेतु प्रारूप-8क भरकर सम्बन्धित बूथ लेबिल अधिकारी या बूथ लेबिल एजेन्ट के पास दिनांक 31 जुलाई 2017 तक जमा करा सकते हैं ।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
गाजियाबाद ।